

3029-8#11
14-9-16


(325/ADE-1)
9-9-16

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
गुडगाव



dy
215
4-9-2016

ADE (Est-11)

यादि क्रमांक टीई/103/608/स्थापना-11/
दिनांक:-

विषय:- श्री सुरेश कुमार कौशिक पुत्र श्री फतेह चन्द शर्मा, उप- प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई गुडगाव के मैट्रिक बोगस प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने पर एफ0आई0 आर0 दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार कौशिक पुत्र श्री फतेह चन्द शर्मा ने इस विभाग में मैट्रिक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 41583 के आधार पर वर्ष 1981 में पेन्टर अनुदेशक के पद पर नौकरी प्राप्त की थी। श्रीमती सुषमा देवी मकान न0 96, सैक्टर-1 रोहतक द्वारा इस अधिकारी के विरुद्ध मैट्रिक के प्रमाण पत्र बारे आर0टी0आई एक्ट के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सूचना मांगी गई थी। भिवानी बोर्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग/सरकार को शिकायत की थी, जिस पर विभाग/सरकार द्वारा श्री सुरेश कुमार कौशिक के मैट्रिक प्रमाण पत्र की पुष्टि करवाने हेतु हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को लिखा गया था जिस पर बोर्ड द्वारा श्री सुरेश कुमार कौशिक पुत्र श्री फतेह चन्द शर्मा का मार्च 1975 का अनुक्रमांक 41583 का प्रमाण पत्र अवैध है, क्योंकि अधिसूचना क्रमांक प/75/मै/98 दिनांक 17.11.1977 को उक्त परीक्षार्थी का परिणाम रद्द (Quash) किया जा चुका है परीक्षार्थी को चार वर्ष 1975-1978 तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है। अतः इस अधिकारी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये। मूल रिकार्ड सलंगन करके आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

सलंगन:- 1 से 36 पेज

अधीक्षक (आई0टी0)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

पू0 क्रमांक टीई/103/608/स्थापना-11/

8247

दिनांक 8/9/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0, गुडगाव को निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश कुमार कौशिक, उप-प्रधानाचार्य के विरुद्ध अपने स्तर पर एफ.आई. आर. दर्ज करवाने बारे कार्यवाही करें।

सलंगन:- 1 से 36 पेज

अधीक्षक (आई0टी0)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

निदेशालय ,औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क० टीई / 103 / 608 / स्थापना-11 8032

दिनांक: 19.9.16

उपरोक्त की एक प्रति नोडल ऑफिसर विभागीय वेबसाइट को आगामी आक्षयक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

19.9.16

अधीक्षक (प्रशासन-1)
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।
चण्डीगढ़

(ऑफिसियल) कमांडिंग

प्रमुख, प्रशासकीय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

प्रमुख, प्रशासकीय, कमीशनरि

पृ० क० टीई / 103 / 608 / स्थापना-11 8032

कृपया उपरोक्त कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

19.9.16

प्रमुख, प्रशासकीय, कमीशनरि

प्रमुख, प्रशासकीय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

प्रमुख, प्रशासकीय, कमीशनरि

कृपया उपरोक्त कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

19.9.16

19.9.16

(ऑफिसियल) कमांडिंग

प्रमुख, प्रशासकीय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

प्रमुख, प्रशासकीय, कमीशनरि